

चौथे संस्करण की भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व विधि के क्षेत्र में हिंदी और भारत की अन्य जनवाणियों का प्रयोग बहुत ही सीमित प्रदेश में हो रहा था। अंग्रेजों के शासन की स्थापना के पहले उत्तरी भारत के अधिकतर हिंदी भाषी क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में फारसी का प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजों की शासन प्रणाली विधि के एक विशेष प्रकार के निर्वचन पर आधारित थी। इस कारण अंग्रेजी भाषा का विधि के क्षेत्र में उनके द्वारा प्रयोग किया जाना स्वाभाविक था। प्रारंभ में अंग्रेजों ने फारसी को भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च स्थान दिया किंतु आगे चलकर इसका प्रयोग 1837 में समाप्त कर दिया।

भाषा प्रयोग से बनती है प्रयोगशाला में नहीं। हिन्दी का शासन में प्रयोग न होने के कारण इसमें ऐसी विधि शब्दावली की कमी थी जो इंग्लैण्ड में पनपी विधि की संकल्पनाओं को अभिव्यक्त कर सके। विधान की भाषा और न्यायालय की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग नगण्य था। 1787 में ब्रिटिश पार्लमेंट ने यह उपबंध किया था कि भारत संबंधी विधि के भारतीय भाषा में अनुवाद प्रकाशित किए जाएं। प्रारंभ में कुछ अनुवाद हिंदी में तैयार किए गए। 1882 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार की पूर्वी सीमा तक और हिमालय से मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक के समस्त क्षेत्र के लिए केंद्रीय विधेयकों और अधिनियमों के उद्दू अनुवाद ही तैयार किए जाएंगे और भारत सरकार उन्हें ही प्रकाशित कराएगी। बाद में भारत सरकार ने उन अनुवादों को कुछ क्षेत्रों के लिए देवनागरी लिपि में भी प्रकाशित करने का निर्णय किया। उन उद्दू अनुवादों का ही प्रयोग उक्त क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा किया जाने का भी निर्णय किया गया। इस निर्णय से न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को आघात पहुंचा। अभी तक उद्दू का प्रयोग फारसी लिपि में हो रहा था अब वही उद्दू देवनागरी लिपि में प्रस्तुत कर दी गई। इस कारण से हिंदी का विधि के क्षेत्र में अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जिस प्रदेश में हिंदी विधि शब्दावली का प्रादुर्भाव और प्रयोग होना था उस प्रदेश में अरबी-फारसी प्रधान उद्दू शब्दावली का प्रचलन विधि के क्षेत्र में हो गया।

सन् 1895 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने सर एंटनी को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें देवनागरी लिपि के प्रयोग को संयुक्त प्रांत में अनुमत करने की मांग की गई थी। 1897 में एक शिष्टमडल भी मिला। 1901 में न्यायालयों में देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति दी गई।

1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 85 में विधान परिषदों की भाषा अंग्रेजी रखी गई। इसी प्रकार विधान सभा की भाषा अंग्रेजी घोषित की गई। 8.10.1947 को उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि को परिषद् की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने अपनी पहली बैठक में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को विधान सभा की भाषा और लिपि के रूप में अपनाया। इसी प्रकार अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही विधान सभाओं में हिंदी का प्रवेश हुआ।

कुछ देशी राज्यों में (अलवर, इंदौर, ओड़िशा, कोटा आदि) हिंदी में कार्य करने की पहल की गई थी। किंतु सही दिशा निर्देश के अभाव में वस्तुस्थिति यह रही कि देवनागरी लिपि में अरबी-फारसी के बोझिल शब्दों का प्रयोग करके एक विचित्र सी भाषा का प्रयोग होने लगा। हिंदी को विधि और न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखने का एक परिणाम यह हुआ कि हिंदी में विधि संबंधी संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्दावली नहीं बन पाई। दूसरा परिणाम यह हुआ कि विधि में निष्पात् ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव हो गया जो हिंदी में प्रारूपण करने या विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हों। शब्दावली के अभाव को दूर करने के लिए तत्कालीन बड़ौदा (वडोदरा) राज्य में एक वैज्ञानिक

प्रयास हुआ। इसके फलस्वरूप 1931 में "सयाजी शासन शब्द कल्पतरु" नामक शब्दकोष प्रकाशित हुआ। दस स्तंभों का यह कोष ग्रंथ एक अपूर्व प्रयोग था। इसके प्रथम स्तंभ में अंग्रेजी शब्द रखा गया और उसके पश्चात् क्रमशः गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी, बंगला, वडोदरा में प्रचलित शब्द तथा वडोदरा के लिए प्रस्तावित मानक शब्द रख गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी में विधि की शब्दावली को संकलिप करने का प्रथम व्यक्तिगत प्रयास ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर के श्री परमेश्वरदयाल श्रीवास्तव ने 1939 में "श्रीवास्तव ला डिक्शनरी" प्रकाशित की। इसमें अंग्रेजी में प्रयुक्त विधि के पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय दिए गए। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए ग्वालियर के श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने "शासन शब्द संग्रह" प्रकाशित किया। श्री द्विवेदी ने ही ग्वालियर राज्य के अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ग्वालियर राज्य के तत्कालीन सभी अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया। अधिनियमों का हिंदी में अनुवाद करने का यह पहला राजकीय प्रयास था। ये अनुवाद विधि और भाषा दोनों दृष्टिकोणों से उच्च कोटि के हैं। 1948 में राहुल सांकृत्यायन के संपादकत्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से "प्रशासन शब्दकोश" प्रकाशित हुआ।

भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि हिंदी में पारिभाषिक विधि शब्दावली की कमी को दूर किया जाना चाहिए। संविधान सभा ने 17 सितंबर, 1949 को एक प्रस्ताव पारित करके सभा के अध्यक्ष को यह प्राधिकार दिया था कि वे संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराएं। यह उत्तरदायित्व निभाते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस विषय में डा. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के हिंदी अनुवाद के प्राक्कथन में जो कहा वह उल्लेखनीय है :

"भारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान का हिंदी अनुवाद, 26 जनवरी, 1950 तक तथा उसके बाद यथाशीघ्र अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद प्रकाशित करा दूँ। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार किए जाएं उन सब में, अगर संभव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के लिए जिनका कि विशेष सांविधानिक या कानूनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाए जाएं। इसलिए मैंने भाषा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन¹ बुलाया कि वह, जहां तक संभव हो, ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करे जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिनको हम

1. भाषा-विशेषज्ञ सम्मेलन

(1) श्री घनश्यामसिंह गुप्त - अध्यक्ष

सदस्य

(2) श्री तीर्थनाथ शर्मा	असमिया	(22) प्रोफेसर अर्हंबल्लभ महाते	उडिया
(3) डा. विरचि कुमार बर्कआ	"	(23) श्री विंतामणि आचार्य	"
(4) श्री पतंजलि भट्टाचार्य	बंगाली	(24) प्रधानाचार्य तेजा सिंह	पंजाबी
(5) श्री चपलाकात मट्टाचार्य	"	(25) ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर,	"
		सदस्य संविधान सभा	
(6) श्री किकू भाई देसाई	गुजराती	(26) श्री के बालमुखमण्य अच्यर	संस्कृत
(7) श्री मुनि जिनदिय जी	"	(27) डा. कुरुन राजा	"
(8) श्री गोपालचन्द्र सिन्हा	हिंदी	(28) महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा	"
(9) डा. रघुवीर, सदस्य संविधान सभा	"	(29) डा. मंगलदेव शास्त्री	"
(10) श्री लक्ष्मीनारायण सुधाशु		(30) डा. बाबूराम सक्सेना	"
(11) श्री वदुनदेव भारद्वाज		(31) श्री एल के. मारती, सदस्य संविधान सभा तथिल	"
(12) श्री रामचन्द्र वर्मा		(32) श्री सेतु पिल्लै	"
(13) श्री काका साहब कालेलकर	कन्नड़, मराठी और गुजराती	(33) श्री लक्ष्मीनारायण राव	तेलुगु
(14) श्री टी.एन. श्रीकात्याया	कन्नड़	(34) श्री रामानुजम्	"
(15) श्री आर आर दिवाकर	"	(35) काजी अब्दुल गफकार	उर्दू
(16) प्रोफेसर जियालाल कौल	कश्मीरी	(36) प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी	"
(17) श्री मिर्जा गुलाम हुसैन बेग आरिफ	"	(37) श्री मोटुरी सत्यनारायण,	विशेषज्ञ अनुवाद समिति
		सदस्य संविधान सभा	
(18) श्री अच्युत मेनन	मलयालम	(38) श्री जयचन्द्र विद्यालकार	"
(19) श्री गोड वर्मा	"	(39) श्री राहुल सांकृत्यायन	"
(20) श्री एस एन बनहट्टी	मराठी	(40) श्री यशवंत आर. दाते	"
(21) डा. एम.जी देशमुख		(41) डा. सुनीति कुमार चट्टर्जी	"

विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुक्त कर सकें और अंततोगत्वा जिनको हम अन्य सरकारी, कानूनी, अदालती और शासन संबंधी कामों में भी प्रयुक्त कर सकें। यह सम्मेलन मध्य प्रांतीय विधान सभा के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह गुप्त के सभापतित्व में समवेत हुआ। इसमें अनुसूची 8 में दी हुई सभी भाषाओं के प्रख्यात विद्वान् प्रतिनिधि स्वरूप सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन ने संविधान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का एक कोष तैयार किया और अनुवाद-समिति ने, जिसे कि संविधान के हिंदी रूपान्तर का काम सौंपा गया था हिंदी अनुवाद तैयार करने में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है।

संविधान के इस अनुवाद में प्रयुक्त कई शब्द, संभव हैं, कुछ लोगों को फिलहाल बिल्कुल नए से प्रतीत हों। पर इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य हैं और इसलिए देश के अधिकांश लोगों को या तो अभी या निकट भविष्य में अवश्य बोधगम्य हो जाएंगे।"

डा. राजेन्द्र प्रसाद के मार्गदर्शन में हुए संविधान शब्दावली के कार्य से यह स्पष्ट हो गया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए एक बड़ी सीमा तक समान और प्रामाणिक शब्दावली तैयार की जा सकती है। मानक और सर्वसम्मत शब्दावली निर्माण का यह पहला प्रयत्न था।

राजभाषा आयोग, 1956² ने अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ 51³ पर इस संबंध में यह कहा है :

"भारतीय भाषाओं में नई पारिभाषिक शब्दावली का विकास करने के सिलसिले में एक पहलू की ओर हम विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जांच के दौरान लगभग सब लोगों ने यह विचार प्रकट किया कि संघ की भाषा और प्रादेशिक भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते समय यह आदर्श रखना चाहिए कि उनमें, अधिक से अधिक एक सूत्रता हो। हम ऊपर देख चुके हैं कि अतीत में भी 'शास्त्रों' के विवेचन या उनकी टीका के लिए भारतीय भाषाओं में जिस विशिष्ट शब्दावली का व्यवहार हुआ है उसमें पर्याप्त सादृश्य था। भारत में भाषा की समस्या के निदान के लिए हमारी राय में यह आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं में सहायक शब्द भंडार विकसित करते समय एकसूत्रता के इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए।

इस सिद्धांत के परिपालन में जो व्यावहारिक कठिनाईयां आ सकती हैं उनके बारे में हमें यहां कुछ कहना चाहिए। एक कठिनाई तो यह है कि कालातर में संस्कृत के बहुत से शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं में भिन्न-भिन्न अर्थों में और कभी-कभी एक दूसरे से एक दम विपरीत अर्थों में प्रयुक्त होने लगे हैं। यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक शब्द विभिन्न भाषाओं में कालातर से विशेष अर्थ या प्रसंग ग्रहण कर लेता है, और इस तरह कभी-कभी वह मूल अर्थ से बहुत दूर जा पड़ता है। जहां यह कठिनाई आए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके निराकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा सामान्य नियम के रूप में नहीं, वरन् अपवाद स्वरूप होता है और हमें विश्वास है कि ऐसे प्रयोगों का क्षेत्र न तो इतना व्यापक है और न इतने महत्व का ही, कि विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों में एकरूपता लाने के उद्देश्य में विशेष बाधा उपस्थित हो।

2. राजभाषा आयोग, 1956 के सदस्य

(1) श्री बी.जी. खेर - अध्यक्ष

सदस्य

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (2) डा. विरेण्य कुमार बर्मा | (12) श्री मोटुरी सत्यनारायण |
| (3) डा. सुनीति कुमार चट्टाई | (13) डा. बाबूराम सक्सेना |
| (4) श्री मणन भाई देसाई | (14) डा. आदित दुर्सेन |
| (5) श्री डॉ. सी. पावरे | (15) डा. अमरनाथ झा |
| (6) प्रोफेसर पी.एन. पुष्य | (16) डा. आर.पी. त्रिपाठी |
| (7) श्री एम के राजा | (17) श्री बालकृष्ण शर्मा |
| (8) डा. पी. सुन्दरायण | (18) श्री भीलिचन्द्र शर्मा |
| (9) श्री जी.पी. नेने | (19) डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी |
| (10) डा. पी.के. पारेजा | (20) श्री जयनारायण व्यास |
| (11) प्रधानाचार्य तेजा सिंह | (21) श्री एम अनन्तशर्मा अय्यंगर |

3. हिंदी में मुदित प्रतिवेदन का पृष्ठ संख्याक

इसी तरह कई बार संस्कृत से निकले युग्म-शब्दों में से किसी एक को किसी भाषा में सरल एवं प्रथमित माना जाता है जबकि अन्य भाषाओं में कठिन और कृत्रिम माना जाता है। कुछ भी हो यह समस्या व्यैरेवार विचार करते समय उठती है और सो भी कभी-कभी ही, और यद्यपि इसका ध्यान रखना आवश्यक है, तथापि उपरोक्त सिद्धांत पर अमल करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी।"

विधि की भाषा की विशेषता पर विचार करते हुए राजभाषा आयोग ने यह कहा था :

"कानून की भाषा सुनिश्चित, संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए। देश भर के अनेक न्यायालयों में इस भाषा की व्याख्या की जाएगी जो मुख्यतः कानूनों में प्रयोग में लाई हुई भाषा के व्याकरण-सम्मत सामान्य अर्थ के आधार पर ही विचार करेंगे, उन शब्दों में छिपे हुए उद्देश्यों या अभिप्रायों के आधार पर नहीं। जहां तक विचार-विमर्श की भाषा का संबंध है, अपने विचार प्रकट करने में संबद्ध वक्ताओं की सुविधा और सुगमता को ध्यान में रखना अधिक महत्वपूर्ण है, और जहां तक कानूनों की भाषा का प्रश्न है, मुख्यतः निश्चितता, संक्षिप्तता और अधिक से अधिक स्पष्टता का ध्यान रखना आवश्यक होता है।"

आयोग ने विधि की शब्दावली के संबंध में विचार करते हुए 11 वें अध्याय में यह कहा था :

"शब्द संबंधी कठिनाइयों का अनुभव, कानून और न्याय के शासन के क्षेत्र में, विशेष रूप से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकलाप का यह क्षेत्र ऐसा है कि विभिन्न स्थितियों और व्यवसायों के बहुसंख्यक लोगों को अपने जीवन के कार्यों में प्रायः प्रतिदिन इसके साथ वास्ता पड़ता है। इस कारण कानून और न्याय-शासन के क्षेत्रों के लिए आवश्यक है कि जो भी पद्धति अपनाई जाए उसका एक अनिवार्य गुण भाव की असंदिग्धता और पूर्ण विशुद्धता रहे। परंतु इससे डरकर हमें अपनी आरंभिक तैयारियों में शिथिल पड़ जाने की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत हमें यह मान कर आगे बढ़ चलना चाहिए कि यदि नीव को बिना पूरी तरह तैयार किए हमने इस क्षेत्र में एकदम कोई परिवर्तन कर डाला तो उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, हानि बहुत हो जाएगी।"

इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 142 पर आयोग ने यह कहा

"जहां तक शब्दावली का संबंध है, कानून संबंधी शब्दावली का विकास और विस्तार, शब्दावली के साधारण क्षेत्र का एक अतिरिक्त उदाहरण मात्र है, और हमने इस विषय पर पांचवें अध्याय में जो कुछ कहा है वह सब कानून संबंधी शब्दावली पर भी समान रूप से लागू होता है। देश के प्राचीन ग्रंथों में जो उपयुक्त शब्द मिलें वे जहां कहीं ठीक बैठें वहां हम उन्हें ही पुनरुज्जीवित कर अपना लें। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश शासन के आरंभिक वर्षों में जब तक न्याय विभाग के सब महत्वपूर्ण व्यवहारों में प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का पूरी तरह चलन नहीं हुआ था तब तक इन प्रादेशिक भाषाओं की जिस शब्दावली का प्रयोग अदालती कार्रवाइयों के सभी स्तरों पर होता था उससे भी हमें बहुत से उपयुक्त शब्द मिल सकते हैं। बड़ौदा, ग्वालियर और हैदराबाद आदि अनेक भूतपूर्व देशी रजवाड़ों में कानून निर्माण का काम भारतीय भाषाओं में ही होता था और उनके उच्चतम न्यायालय तक सब कामकाज अपने-अपने यहां की प्रादेशिक भाषा में ही किया जाता था। इन रजवाड़ों में जो शब्द और वाक्यांश प्रयुक्त होते थे उनसे भी कुछ सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, जहां किसी कानूनी विचार को प्रकट करने के लिए, स्वदेशी सूत्रों से कोई सर्वथा उपयुक्त, सरल और समान शब्द न मिले, वहां उस विचार के प्रकाशन के अंग्रेजी या ग्रीक या लेटिन शब्द को जैसा-का-तैसा अपना लेने में निश्चय ही कोई हानि नहीं होगी।

हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं की वर्तमान असमर्थता दूर करने के लिए जो नए शब्द और वाक्यांश बनाए या अपनाए जाएं उनमें अधिकतम एकरूपता रहनी चाहिए। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, कानून के क्षेत्र में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कानून और न्याय-शासन में समस्त देश की एकता भारतीय संवैधानिक संगठन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, और इसलिए आवश्यक है कि कानून संबंधी शब्दों और वाक्यांशों का अभिप्राय देश के सब भागों में एकसा समझा जाए तभी देश की एकता स्थिर रह सकती है।"

राजभाषा आयोग, 1956 के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के अधीन एक संसदीय समिति⁴ की स्थापना की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंदवल्लभ पंत थे। इस समिति ने आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करके अपनी राय राष्ट्रपति को दी। राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने के पश्चात् 27.4.1960 को एक आदेश निकाला। इस आदेश के पैरा 13 में यह कहा गया है

'13. विधि क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक आरंभिक कदम :

मानक विधि शब्दकोश तैयार करने, तथा राज्य के विधान निर्माण से संबंधित सांविधिक ग्रंथ का अधिनियमन करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमणकाल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णय-विधि अंशतः हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारंभिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली तथा कोशों से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्रभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग या इस प्रकार कोई उच्चस्तरीय निकाय बनाया जाए। समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केंद्रीय सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समिति के सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय (यथासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए) सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिंदी में अनुवाद संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों वाले एक स्थायी आयोग (या अन्य समुचित अभिकरण)⁵ का निर्माण करें।

4. संसदीय राजाभाषा समिति (जो गृह मंत्री के 3.9.1957 के प्रस्ताव के आधार पर गठित की गई थी)

राज्य सभा (11.9.1957 को निर्वाचित)

श्री गोविंदवल्लभ पंत
श्री पुरुषोत्तमदास ठंडन
श्री के.पी. माधवन नायर
श्री अल्लूरी सत्यनारायण राजू
डा. रघुवीर

सरदार बुध सिंह
श्री भागीरथी महापात्र
डा. ए. रामस्वामी मुलियार
डा. पेरत नारायणन नायर
श्री प्रफुल्लचंद्र भंजदेव

लोक सभा (13.9.1957 को निर्वाचित)

सेत गोविंददास
श्री पी.टी. थानु पिल्लै
स्वामी रामानंद तीर्थ
श्री बी.एस. मूर्ति
पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्री हिन्दुरेहमान
श्री बी. भगवती
श्री यू. श्रीनिवास मल्लया
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री मथुराप्रसाद मिश्र

श्री माणिक्यलाल वर्मा
श्री भक्त दर्शन
श्री श्रीगद अमृत डांगे
श्री हरिश्चंद्र शर्मा
कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल
ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर
श्री अतुल्य छोष
श्री देवराव यशवंतराव गोहोकर
श्री हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी
श्री प्रमथनाथ बनर्जी

5. राष्ट्रपति के 11 नवंबर, 1976 के आदेश द्वारा अंतःस्थापित किए गए देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3(ii), तारीख, 12 नवंबर, 1976 में प्रकाशित का आ 725 (अ)।

इस आदेश के अनुपालन में 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :

(1) यथासंभव सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए प्रामाणिक विधि शब्दावली तैयार करना और उसे प्रकाशित करना,

(2) सभी केंद्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना,

(3) किसी केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिंदी पाठ तैयार करना,

(4) केंद्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषाओं में अनुवाद और किसी भी राज्य में पारित अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के उस सूरत में जिसमें कि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों के पाठ हिन्दी से भिन्न भाषा में हैं, हिंदी में अनुवाद कराने का प्रबंध करना, और

(5) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

आयोग ने शब्दावली निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई वह उल्लेखनीय है। आयोग ने शब्द-कोश का निर्माण नहीं किया। आयोग ने केंद्रीय अधिनियमों का हिंदी रूपांतरण तैयार किया। उसको तैयार करते समय जो पारिभाषिक शब्द प्रयोग किए गए उनका संकलन करके उसे विधि शब्दावली के रूप में प्रकाशित किया। इससे वह लाभ हुआ कि उस शब्द का विधि साहित्य में वास्तव में प्रयोग हुआ और यह भी निश्चय हो सका कि शब्द उपयुक्त है अथवा नहीं। आयोग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य 12 भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में थे। इस कारण वे जो भी निर्णय लेते थे वह अखिल भारतीय दृष्टि से लेते थे। अतएव जो ध्येय डा. राजेन्द्र प्रसाद ने समिति के समक्ष रखा था और जिसे राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन में और राष्ट्रपति के आदेश में अंगीकार किया गया था उस उद्देश्य का आयोग ने सदैव ध्यान रखा।

1970 तक अनेक महत्वपूर्ण अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि प्रमुख अधिनियमों के हिंदी पाठ प्रकाशित हो चुके थे। अतएव राजभाषा (विधायी) आयोग ने 1970 में उस विधि शब्दावली का प्रकाशन किया जिसमें उन शब्दों और पदों का समावेश किया गया जिनका उन अधिनियमों के हिंदी पाठ में प्रयोग किया गया था। इस शब्दावली में लगभग 10,000 प्रविष्टियां थीं।

1976 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि आयोग को समाप्त करके यह कार्य विधि मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जाए। इस निर्णय के पश्चात् आयोग के स्थान पर विधायी विभाग का राजभाषा खंड कार्य कर रहा है। उसे वे सभी कार्य सौंपे गए हैं जो पहले राजभाषा (विधायी) आयोग को दिए गए थे। शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया अभी भी वही है। सभी भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधियों की सहमति से शब्दावली का निर्माण किया जाता है।

1979 में राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली का परिवर्धित संरकरण निकाला। केंद्रीय अधिनियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग हुआ उन सबका इस संस्करण में समावेश कर दिया गया। लेटिन की जो अभिव्यक्तिया और सूक्षितयां विधि में प्रचलित हैं उनका अर्थ और उनकी व्याख्या भी सम्मिलित कर दी गई। अधिनियमों के प्राधिकृत नामों को भी वर्णक्रम से इसमें मुद्रित किया गया जिससे उनके प्रति निर्देश करने में सुविधा हो। इस शब्दावली की तीस हजार प्रतियां बहुत कम समय में बिक गईं।

1983 में शब्दावली का तीसरा संस्करण राजभाषा खंड ने प्रकाशित किया जिसमें लगभग 37,000 प्रविष्टियां थीं। इस संस्करण में एक नया भाग जोड़ा गया। हिंदी के विधि की भाषा बनने के पूर्व भारत के बहुत बड़े भू-भाग में अरबी-फारसी मूल के शब्दों का समावेश करते हुए उर्दू भाषा का विधि के क्षेत्र में प्रचलन था। ऐसे शब्दों का प्रयोग पुराने दस्तावेजों में होता था। यद्यपि बहुत से दस्तावेजों की लिपि

देवनागरी है किंतु शब्दावली अपरिचित और दुरुहोने के कारण वर्तमान न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और अन्य व्यक्ति उसका अर्थ समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनकी सहायता करने की दृष्टि से विधि के क्षेत्र में पूर्व में प्रचलित अरबी-फारसी शब्दों के हिंदी पर्याय भी विधि शब्दावली में सम्मिलित किए गए। यह संस्करण 1983 के अंत में प्रकाशित हुआ और इसकी 34,000 प्रतियाँ 1987 के मध्य तक बिक गई।

प्रस्तुत संस्करण विधि शब्दावली का चौथा संस्करण है। इस संस्करण में प्रविष्टियों की संख्या लगभग पचास हजार है। प्रयत्न यह किया गया है कि प्रत्येक ऐसे शब्द को इसमें स्थान मिले जो किसी भी केंद्रीय अधिनियम में पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त है। ऐसे पद भी इसमें संकलित हैं, जो विधि में बार-बार प्रयोग किए जाते हैं। पारिभाषिक शब्दों के विभिन्न अर्थों का पृथक् स्पष्टीकरण देते हुए उनके आवश्यकतानुसार पृथक् पर्याय दिए गए हैं। शब्दावली के लेटिन हिंदी वाले भाग को और विस्तृत बनाया गया है। केंद्रीय अधिनियमों के नामों की सूची को भी अद्यतन किया गया है।

यह स्मरणीय है कि हिंदी में शब्दावली निर्माण का कार्य वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम डा. रघुवीर ने प्रारंभ किया। उन्होंने शब्दावली निर्माण के जो सिद्धांत स्थिर किए थे उन सिद्धांतों का शब्दावली रचना के अधिकाश क्षेत्र में अनुसरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में डा. रघुवीर के योगदान के महत्व को नकारने वाले भी आवश्यकता पड़ने पर न केवल उनके सिद्धांतों के अनुसार शब्द रचना करते हैं बल्कि अनेकों बार उन्हीं की शब्द सृष्टि से पर्याय अपना लेते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत की परख भी यह है कि स्वतंत्र रूप से वित्तन करने वाले व्यक्ति अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। डा. रघुवीर के कार्य की विशेषता यह है कि उन्होंने कुछ सिद्धांत स्थिर किए और उनके आधार पर शब्दावली का सृजन किया। उनके पूर्व कार्य करने वाले विद्वानों ने शब्दावली का निर्माण तो किया किंतु उनके कार्य में कोई स्पष्ट सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होते। अधिकतर विद्वानों ने प्रचलित प्रयोग के आधार पर ही शब्द चुने। डा. रघुवीर के योगदान से हिंदी समृद्ध और उन्नत हुई।

जैसा कि ऊपर कहा गया है अखिल भारतीय विधि शब्दावली के सृजन का बीजारोपण डा. राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। उनके द्वारा गठित भाषा विशेषज्ञ सम्मेलन (Language Experts Conference) और विशेषज्ञ अनुवाद समिति⁶ (Expert Translation Committee) ने उनके निदेशानुसार कार्य करते हुए विधि के क्षेत्र में एकरूप शब्दावली की नीव डाली। जब राजभाषा (विधायी) आयोग का 1961 में गठन हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह थे जो असम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति थे। आयोग के सदस्य-सचिव श्री बालकृष्ण थे जो 1968 तक सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते रहे। श्री बालकृष्ण ने संविधान सभा के लिए भारत के संविधान का हिंदी प्रारूप तैयार किया था। वे विशेषज्ञ अनुवाद समिति के सचिव भी थे। राजभाषा (विधायी) आयोग के आरभिक काल में इन दो विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री बालकृष्ण ने विधायी विभाग के अनुवाद अधिकारी के रूप में अधिनियमों का हिंदी अनुवाद आरंभ किया। आयोग ने जब अधिनियमों, नियमों आदि की वाक्य रचना प्रयुक्ति, शैली आदि सुनिश्चित हुए। हिंदी में विधि के प्रारूपण की शैली के निर्धारण में श्री बालकृष्ण की भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार के विधायी विभाग के तत्वावधान में हिंदी भाषी राज्यों की समन्वय समिति सभी हिंदी भाषी राज्यों में प्रयुक्त शब्दावली में एकता स्थापित करने का कार्य कर रही है। राज्यों के विधि सचिव इसके सदस्य हैं। इस समिति को अपने ध्येय की प्राप्ति में पूरी सफलता मिली है।

राजभाषा (विधायी) आयोग ने और अक्तूबर, 1976 से उसके उत्तरवती विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली तैयार करने में कतिपय सर्वमान्य सिद्धांतों का अनुसरण किया है। शिक्षा

6. हिंदी में संविधान के अनुवाद के लिए समिति के सदस्य

(विशेषज्ञ अनुवाद समिति)

- | | |
|--|--|
| (1) श्री धनश्यामसिंह गुप्त
अध्यक्ष, मध्य प्रांत विधान सभा – झज्जरा
सदस्य | (6) श्री जयचन्द्र विद्यालकार
(7) श्री यशवत आर दाते
(8) श्री एम मुजीब
सलिल |
| (2) श्री डब्ल्यू आर. पुराणिक, सदस्य,
सघ लोक सभा आयोग
(3) श्री राहुल साक्त्यायन
(4) श्री मोटुर्मी सत्यनारायण, संसद, सदस्य
(5) डा. सनील कुमार घटजी | (9) श्री बालकृष्ण |

मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा सकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग यही सिद्धांत अपनाए है। शब्दावलियों की भिन्न प्रकृति के कारण कुछ सिद्धांत विधि शब्दावली के लिए विशेष हैं। पहली भिन्नता यह है कि विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों और पदों का अर्थ क्या है यह न्यायालय निर्णय करता है। विधि से अधिकारों का सृजन और विनियमन होता है। इसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी क्षेत्रों पर होता है। अतएव शब्दों या पदों का प्रयोग और अर्थान्वयन दोनों ही प्रारूपण और निर्वचन के सिद्धांतों से शासित होते हैं। दूसरी भिन्नता यह है कि विधि मंत्रालय के शब्दावली निर्माण के कार्य में पहले साहित्य सृजन किया गया और उसके उपोत्पाद के रूप में शब्दावली बनी। जिन शब्दों की किसी अधिनियम में परिभाषा दी गई है वे सभी दृष्टि से पारिभाषिक शब्द हैं और उनके अर्थ परिभाषा द्वारा सीमित हैं। अधिनियमों और विनियमों तथा कानूनी नियमों में प्रयुक्त शब्द भी अधिनियमित का रूप ग्रहण कर लेते हैं इसलिए विधि के क्षेत्र में उन्हीं शब्दों का प्रयोग विधितः बाध्यकर हो जाता है।

हमारा यह विश्वास है और आशा भी, कि इस संस्करण में जो विधि के शब्द और पद समाविष्ट किए गए हैं वे प्रचलन और प्रयोग में आकर विधिवेत्ताओं, न्यायाधीशों, विधि के आचार्यों और जन साधारण को सुबोध हो जाएंगे तथा उन शब्दों और पदों का सहज और स्वाभाविक रूप से प्रयोग होने लगेगा। पिछले तीनों संस्करणों से इस विश्वास को बल मिला है। विधि शब्दावली के पिछले संस्करणों में समाविष्ट शब्दों का विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में, पुस्तक लेखन में और अन्यत्र भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। यह शब्दावली के वैज्ञानिक और सटीक होने के परिणामस्वरूप है, किसी बाध्यता के कारण नहीं। भारतीय भाषाओं के विधि के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग की दिशा में विधि शब्दावली का यह संस्करण सहायक होगा यही हमारी आशा है।

शब्दावली निर्माण में कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया है। नीचे दिए गए उदाहरणों से पाठकों को शब्द निर्माण प्रक्रिया का सुस्पष्ट चित्र प्राप्त हो जाएगा :

(क) संकल्पना का द्योतन करने वाले सभी शब्दों का अनुवाद किया गया है। जो शब्द किसी वस्तु का नाम है उनका अनुवाद न होने पर भी उसको समझ लेने में बाधा नहीं होती। दैनंदिन जीवन में अन्य भाषाओं के बहुत से शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे पेसिल, निब, कार, बटन, पैट, कोट, टिकट, रेल, प्लेटफार्म आदि। उनका अनुवाद न तो वाचनीय है और न आवश्यक ही। किंतु अन्य भाषाओं के संकल्पना मूलक शब्दों का अपनी भाषा में अनुवाद आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ, right, duty, property, transfer, law, contract, tort, आदि के लिए क्रमशः अधिकार कर्तव्य, संपत्ति, अंतरण, विधि, संविदा और अपकृत्य, पर्याय निर्धारित किए गए हैं।

भारत की वर्तमान विधि मुख्यतः अंग्रेजी विधि पर आधारित है। अंग्रेजी विधि में संकल्पनाओं का द्योतन करने वाले शब्द अधिकांशतः रोमन विधि से लिए गए हैं। वे अधिकतर लेटिन या ग्रीक भाषा के हैं। कुछ शब्द फ्रैंच से भी आए हुए हैं। ये शब्द कभी भी भारतीय भाषाओं में घुलमिल नहीं सकते। mens rea, res judicata, possession, property, आदि शब्द किसी भी भारतीय भाषा में समामेलित नहीं हो सकते। इन सबके लिए भारतीय प्रतिशब्द सुनिश्चित किए गए हैं।

(ख) एक संकल्पना के लिए एक ही पर्याय रखा गया है।

(ग) परस्पर संबंधित संकल्पनाओं के लिए यथासंभव ऐसी संज्ञाएं रखी गई हैं जो सदृश होते हुए भी सुभिन्न हैं। इसमें सुभिन्नता प्रकट करने के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अथवा धातु में भेद करके शब्द रचना की गई है। जैसे

(i)	Act	अधिनियम
	rule	नियम
	sub-rule	उपनियम
	regulation	विनियम
	statute (of a University)	परिनियम
(ii)	survey	सर्वेक्षण
	prospect	पूर्वेक्षण
	inspect	निरीक्षण

	superintend	अधीक्षण
	test	परीक्षण
(iii)	review	पुनर्विलोकन
	revision	पुनरीक्षण
(iv)	adjourn	स्थगन
	defer	आस्थगन
	abeyance (keep in)	प्रास्थगन

2. (क) अकेले शब्द का विचार करके अनुवाद नहीं किया गया। संस्पर्शी शब्दों पर एक साथ विचार करके ही पर्याय सुस्थिर किए गए हैं। ऐसा करते समय यह ध्यान रखा गया है कि अंग्रेजी के प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के लिए हिंदी में भी एक शब्द हो। अंग्रेजी के शब्दों में जहां अर्थ की छटा भिन्न है वहां हिंदी में भी अभिव्यक्ति की उस छटा को प्रकट करने के लिए अलग-अलग शब्द रखे गए हैं। जैसे :

(i)	right	अधिकार
	prerogative	परमाधिकार
	privilege	विशेषाधिकार
(ii)	cancel	रद्द करना
	abrogate	निराकरण करना
	repeal	निरसन करना
	rescind	विखंडित करना
	supersede	अधिक्रमण करना
	annul	बातिल करना
	quash	अभिखंडित करना
(iii)	contract	संविदा
	agreement	क्रार
	stipulation	अनुबंध
	covenant	प्रसंविदा
	bargain	सौदा
	proposal	प्रस्थापना
(iv)	intention	आशय
	motive	हेतु
	object	उद्देश्य
(v)	transfer	अंतरण
	conveyance	हस्तांतरण
	assignment	समनुदेशन
(vi)	motion	प्रस्ताव
	resolution	संकल्प
(vii)	postpone	मुल्तवी करना
	defer	आस्थगन
	adjourn	स्थगन
(viii)	coercion	प्रपीड़न
	pressure	दबाव
	duress	विबाध्यता
	compulsion	अनिवार्यता
	influence	असर

अधिनियमों या विनियमों में ये मिलते-जुलते शब्द एक ही धारा या खंड में प्रयुक्त होते हैं ; इस कारण भी इनका पर्याय स्थिर करना परमावश्यक था।

(ख) अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एकाधिक पारिभाषिक अर्थ दर्शाते हैं। इसलिए हनके लिए एक से अधिक समानार्थी निश्चित किए गए हैं। यह बात इसलिए आवश्यक थी कि प्रसंगानुसार ये अंग्रेजी शब्द विभिन्न संकल्पनाओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एक पर्यायवाची शब्द से उसके संपूर्ण अर्थ का घोतन नहीं हो सकता। जैसे :

interest	हित, व्याज
constitution	संविधान, गठन
charge	भार, आरोप, भारबोधन, भारसाधन
execution	निधादन, फांसी
invalidity	अविधिमान्यता, अशक्तता
return	लौटना, लौटाना, विवरणी, निर्वाचित होना

3. इस बत का ध्यान रखा गया है कि शब्दावली जहां तक हो सके सभी भारतीय भाषाओं में सुग्राह्य हो। ऐसे शब्द चुने गए हैं जो पहले से अधिकांश भारतीय भाषाओं में प्रचलित थे या जो इस प्रकार के हैं कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो सकेंगे।

उदाहरण :

(क) पहले से भारतीय भाषाओं में प्रचलित शब्द जिन्हें विधि शब्दावली में अंगीकार कर लिया गया :

दिवालिया	व्यापार	बीमा	स्वतंत्रता
परिषद्	मंत्री	ऋण	संहिता
सभा	साक्ष्य	न्यायिक	
सरकार	परीक्षा	कैदी	
निर्वाचन	प्रातेनिधि	न्याय	

(ख) ऐसे शब्द जो नवीन हैं किंतु अखिल भारतीय प्रचलन में आ गए हैं :

संचित निधि	consolidated fund
राज्यपाल	governor
लोक सभा	House of the People
राज्य सभा	Council of States
अधिनियमन	to enact
राजगामी	escheat
प्रत्यर्पण	extradition
पूर्वगामी	foregoing
अधिनियम	Act
राज्यक्षेत्र	territory
अनुपूरक	supplementary
विनिमय-पत्र	bill of exchange
अधिकारिता	jurisdiction
अधिसूचना	notification
अनुबान	grant
अल्पसंख्यक	minority
विशेषाधिकार	privilege
अनुसूची	schedule
राजपत्र	gazette
स्थानीय प्राधिकारी	local authority

4. जब अंग्रेजी में निकट अर्थ वाले दो या अधिक शब्द थे और उनकी अर्थ छाया को प्रकट करने के लिए हिंदी में अलग-अलग शब्द रखने आवश्यक थे वहाँ उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में मुख्यतः संस्कृत से और गीणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण किए गए।

mortgage के लिए 'बंधक', pledge के लिए 'गिरवी', pawn के लिए 'पणयम' hypothecation के लिए 'आडमान' और encumbrance के लिए "विल्लंगम" पर्याय रखा गया।

इनमें पणयम, आडमान और विल्लंगम तमिल से प्राप्त हैं।

distress का प्रतिशब्द 'करस्थम्' मलयालम से आयत है।

'करार' शब्द को agreement के लिए रुढ़ करके संस्कृत से 'संविदा' शब्द को contract का पर्याय बनाया गया।

प्रचलित शब्द 'कानून' को statute के पर्याय के रूप में रुढ़ करके 'विधि' को law का समानार्थी स्वीकार किया गया।

'मुल्तवी' शब्द postpone के लिए सुस्थिर करके 'स्थगन' को adjourn का, 'आस्थगन' को defer का और 'प्रास्थगन' को abeyance (keep in) का समतुल्य स्वीकार किया गया।

'बचत' को savings के लिए और 'निक्षेप' को deposit के लिए रखा गया।

'जांच' को inquiry के लिए और 'अन्वेषण' को investigation के लिए रखा गया।

5. इसको महत्व नहीं दिया गया कि शब्द मूलतः किस भाषा से आया है। इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि शब्द उपयुक्त और सटीक है या नहीं तथा अधिकांश भारतीय भाषाओं में वह आत्मसात और प्रचलित हो पाएगा या नहीं।

इस आधार पर बहुत से अंग्रेजी अथवा अरबी-फारसी मूल के शब्द अपनाए गए हैं।
उदाहरणार्थ :

(क) अंग्रेजी मूल के शब्द :

मजिस्ट्रेट, समन, वारंट, कौसल, पेशन, फीस, न्यूसेंस, डिक्री, शेयर, प्रोबेट, अपील, पालिसी, वारंटी, रेल, ट्राम, असेसर, जूरी, टैरिफ, वैगन, प्रास्पेक्टस, डिबेचर, रजिस्ट्रार, बैंक, चैक, ड्राफ्ट, पैकेज।

(ख) अरबी-फारसी मूल के शब्द :

अर्जी, रद्द करना, वसीयती, असर, असली, आमदनी, इंकार, गफलत, गबन, वसूली, जमानत, तामील, दखलंदाजी, इजाजत, कसूर, कार्रवाई।

6. अन्य भाषा के जिस शब्द को ग्रहण किया गया है उसके व्याकरणिक रूप और व्युत्पन्न शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाए गए हैं :

(i)	cancel	रद्द
	cancellation	रद्दकरण
(ii)	appeal	अपील
	appellant	अपीलकर्ता
	appellate	अपीली
	appealable	अपीलीय
(iii)	insurance	बीमा
	insurable	बीमायोग्य
	insured	बीमाकृत
(iv)	possess	कंब्जा रखना
	possessor	कंब्जा रखने वाला

(v)	possession	
1.	physical control over property	कब्जा
2.	the areas in one's possession	कब्जाधीन
(vi)	commit	सुपुर्द करना
	commitment	सुपुर्दगी
	committee	सुपुर्ददार
	committing (authority)	सुपुर्दगीकार (प्राधिकारी)

7. जहां हिंदी में दो या अधिक समानार्थी शब्द उपलब्ध थे और उनमें से कोई एक शब्द ऐसा था जिसका कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कोई भिन्न अर्थ था वहां उस शब्द को पारिभाषिक प्रतिशब्द के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

उदाहरण :

attempt के लिए प्रयत्न, प्रयास और घेष्टा प्रचलित है। घेष्टा का मराठी में भिन्न अर्थ है। अतएव भारतीय दंड संहिता में **attempt** के लिए प्रयत्न रखा गया है।

objection के अर्थ में हिन्दी में दो शब्द प्रचलित हैं 'आपति' और 'आक्षेप'। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 'आपति' का अर्थ विपरिया आफत है। अतएव अखिल भारतीय दृष्टिकोण से 'आक्षेप' ही अंगीकार किया गया है।

इसी आधार पर **witness** के लिए गवाह के स्थान पर 'साक्षी' स्वीकार किया गया है। plaintiff और defendant के पर्याय 'वाटी' और 'प्रतिवादी' माने गए हैं, मुददई और मुदवाआ अलेह नहीं।

8. अंग्रेजी के असमस्त (समासरहित) शब्द का अनुवाद यथासंभव असमस्त शब्द से ही किया गया है, समस्त शब्दों से या वाक्यों से नहीं। उदाहरणार्थ jurisdiction के पर्याय रूप में दो शब्द 'क्षेत्राधिकार' और 'अधिकार क्षेत्र' प्रचलित थे जो दोनों ही समस्त थे। इनमें एक शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि अधिकार किसी क्षेत्र पर है और दूसरे से यह कि किसी अधिकार का क्षेत्र समित है। यह जटिलता 'अधिकारिता' शब्द स्वीकार करके दूर कर दी गई है। इससे pecuniary jurisdiction, jurisdiction over persons, territorial jurisdiction आदि का अनुवाद करने में आने वाली कठिनाई भी दूर हो गई। audit के लिए लेखा परीक्षा स्थिर करना भी त्रुटिपूर्ण था। यथा performance audit में लेखा परीक्षा नहीं है। examination of accounts के लिए लेखा परीक्षा उपयुक्त है। अतएव audit के लिए असमस्त पद 'संपरीक्षा' रखा गया है जो सर्वत्र प्रयोग किया जा सकेगा।

इसी प्रकार promotion के लिए पदोन्नति रखने में भी कठिनाई थी, sales promotion में पदोन्नति का प्रयोग गलत होता अतः 'प्रोन्नति' पर्याय स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार injunction के लिए 'निषेधाज्ञा' स्वीकार नहीं हो सकता था क्योंकि वह निषेधात्मक हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। mandatory injunction में न्यायालय कोई कार्य करने का आदेश देता है। यहां निषेध नहीं है। इसलिए injunction के लिए इस सिद्धांत के आधार पर 'व्यादेश' रखा गया है जो संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त भी हुआ है।

9. शब्दावली में संस्कृत मूल के शब्दों को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इससे व्युत्पन्न दूसरे शब्द निर्माण करने में सहजता होती है और वे अन्य भारतीय भाषाओं में भी सहज ही आत्मसात हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में भी संस्कृत मूल के शब्दों को प्राथमिकता देने का निर्देश है। इसीलिए अरबी-फारसी मूल के कुछ ऐसे शब्दों को भी जो उत्तरी भारत में न्यायालयों में प्रचलित थे छोड़ दिया गया है और उनके स्थान पर संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया गया है। ये शब्द अधिक मुबोध भी हैं।

उदाहरणार्थ :

पूर्व प्रखलित शब्द	स्वीकृत शब्द
आरजी	अस्थायी
मोहर	मुद्रा
दादरसी	अनुतोष
सरका	चोरी
सरका बिल जब्ब	लूट
मुददई	वादी
मुददआ अलेह	प्रतिवादी
साइल	याची
मसऊल इलेह	प्रत्यर्थी
इस्तिग़ासा	परिवाद (अभियोगपत्र)
मुस्तग़ीस	परिवादी
जवाबूल जवाब	प्रत्युत्तर
तनकीहात	विवाद्यक
हुक्मे इलतेवा/मौकूफी	रोकादेश
हुक्मे-इमतेनाइ	व्यादेश
इजरा	निष्पादन
दायरा-ए-इखियार	अधिकारिता
बिना-ए-मुख्खास्मत	वाद हेतुक

10. पारिभाषिक शब्दावली स्थिर करते समय भारत के प्राचीन वाड़मय में उपलब्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है। (इस बात की सिफारिश राजभाषा आयोग, 1956 ने अपने प्रतिवेदन में की थी) ऐसा करते समय कहीं-कहीं किसी शब्द का उसके मूल अर्थ से किंचित् भिन्न अर्थ में भी प्रयोग किया गया है।

res judicata	पूर्व न्याय, प्राड़न्याय (मिताक्षरा से)
witness	साक्षी (स्मृतियों में प्रयुक्त)
evidence	साक्ष्य (स्मृतियों में प्रयुक्त)
justice	न्याय
code	संहिता
force	बल (अर्थशास्त्र में प्रयुक्त)
minister	मंत्री
conviction	दोषसिद्धि
imprisonment	कारावास
accused	अभियुक्त
prison	कारागार

जिन शब्दों का प्रयोग मूल अर्थ से भिन्न अर्थ में किया गया है उनके उदाहरण हैं :

law	विधि
parliament	संसद्
assembly	सभा
committee	समिति
secretary	सचिव

11. यदि अंग्रेजी के एक शब्द का विभिन्न संदर्भों में भिन्न-भिन्न अर्थ है तो आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न संदर्भों में उसके भिन्न पर्याय रखे गए हैं।

उदाहरणार्थ :

(क) charge :

- | | |
|---|------------|
| 1. an obligation as in section
100 of the Transfer of Property Act | भार |
| 2. accusation of a crime which
precedes a formal trial | आरोप |
| 3. price for services | प्रभार |
| 4. control, custody or
superintendence | भारसाधन |
| 5. the address of a judge to
jury instructing them upon the
concerned law | भारबोधन |
| 6. quantity of explosive used
in a single discharge for a gun | भरण |
| 7. to restore the active
materials in a storage battery | चार्ज करना |

(ख) representation :

- | | |
|---|-----------|
| 1. likeness, picture etc. | रूपण |
| 2. a statement specially made
to convey a particular view
with the intention of
influencing action | व्यपदेशन |
| 3. to make a formal statement
of facts, or arguments with a
view to affecting some change,
preventing some action etc. | अभ्यावेदन |

(ग) delivery :

- | | |
|---|----------------|
| 1. the action of delivering up
or over | परिदान |
| 2. giving birth to a child | प्रसव |
| 3. delivering a speech | वाक्‌प्रस्तुति |
| 4. an act of delivery | वितरण |

12. जब अंग्रेजी के किसी शब्द का पर्याय स्थिर किया गया तो इस बात को ही ध्यान में रखा गया कि उस शब्द से वे सब व्युत्पन्न शब्द बन सकते हैं या नहीं जो अंग्रेजी के शब्द से व्युत्पन्न होते हैं। **उदाहरणार्थ :**

law के पर्यायवाची 'विधि' में यह गुण पूर्णतया उपरिथत है।

law	विधि
lawful	विधिवत्, विधिसंगत
legal	वैध
illegal	अवैध

legislation	विधान
legislative	विधायी
legislator	विधायक
legislature	विधानमंडल
lawless	विधिहीन
unlawful	विधिविरुद्ध

13. विदेशी शब्दों को अपनाते समय उनको ध्वनि या उच्चारण की दृष्टि से आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया गया है, जैसे :

proxy	परोक्षी
quarantine	करंतीन
interim	अंतरिम

14. यह सिद्धांत सदैव ध्यान में रखा गया है कि केवल पारिभाषिक शब्दों और पदों के समानार्थी शब्द या पद तय करना है। सामान्य प्रचलित शब्दों और पदों का प्रयोग यथावत् किया जाना चाहिए। पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दावली के अनुपूरक है।

15. राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा 3 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था। अतएव जहां भी किसी अधिनियम, नियम, विनियम आदि में विज्ञान या प्रौद्योगिकी से संबद्ध शब्द आते थे वहां उसी शब्दावली का प्रयोग किया गया जो शिक्षा मंत्रालय ने तय की थी। जहां शब्दावली निर्माण का कार्य शेष था वहां पर शिक्षा मंत्रालय और संबद्ध तकनीकी विभाग की सहायता से पर्यायवाची शब्द सुस्थिर किए गए। सेना अधिनियम, 1950, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, आयुध अधिनियम, 1959, बन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 आदि में यह प्रक्रिया अपनाई गई है।

इस संस्करण को तैयार करने और मुद्रित और प्रकाशित कराने में जिन अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है उन सबके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। श्री खजानचंद, उप विधायी परामर्शी (अब सेवानिवृत्त) और श्री जुगल किशोर, अनुवादक ने इस कार्य में विशेष योगदान किया है।

नई दिल्ली ;

1 फरवरी, 1988

12 माघ, 1909

बजकिशोर शर्मा
अपर सचिव, भारत सरकार,
राजभाषा खंड,
विधायी विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय।